मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 25/चार/ब–1/08 भोपाल दिनांक 14/1/2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कोषालय/उप कोषालय अधिकारी,
मध्य प्रदेश

स्वागत कक्ष आवक क्र. 137 दिनांक 24-1-2008 हस्ताक्षर

विषयः–क्रय पर प्रतिबंध बाबत् ।

–0–

वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों मे जल्दबाजी में क्रय की कार्यवाही करने पर निर्धारित प्रक्रिया एवं वित्तीय अनुशासन में चूक होने की संभावना रहती है, जिसके कारण शासन के द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंतिम माहों में क्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है ।

2. इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

(एक) 1 फरवरी के बाद क्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध रखा जाये । यह प्रतिबंध लघु उद्योग निगम एवं सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से क्रय की जाने वाली सामग्री पर भी लागू रहेगा, परन्तु विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री हेतु यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।

(दो) क्रय पर पूर्ण प्रतिबंध के फलस्वरूप दिनांक 1 फरवरी से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक क्रय के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त शक्तियां अधिक्रमित रहेंगी ।

3. इन निर्देशों के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाहियां प्रतिबंधित नहीं समझी जानी चाहिए :–

(एक) जिन प्रकरणों में क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरान्त क्रय आदेश दिनांक 1 फरवरी के पूर्व कार्यालय द्वारा जारी किया जा चुका हो, भले क्रय सामग्री 1 फरवरी के पश्चात् हो ।

(दो) ऐसे प्रकरण जिनमें छात्रावास, आश्रम,अस्पताल, जेल, पशु चिकित्सालय, आदि के संचालन हेतु आवश्यक खाद्य सामग्री की पूर्ति हेतु क्रय ।

(तीन) ऐसे प्रकरण जिनमें 12 वें वित्त आयोग की सहायता के अंतर्गत एच.एल.सी. द्वारा अनुमोदित कार्य योजना ।

4. उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से ही किया जा सकेगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरूद्ध मुकर्जी)
संचालक बजट
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

AD(B) बजट
USD(MA) Store

12 4 JAN 2008

पृ. कमांक 26/चार/ब–1/2008 भोपाल दिनांक 14 जनवरी, 2008

प्रतिलिपिः–

1– समस्त जिलाध्यक्ष, मध्य प्रदेश की ओर 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित अग्रेषित कर निवेदन है कि समस्त जिला अधिकारियों को अपने युक्तियुक्त निर्देशों सहित यह परिपत्र वितरित कराने का कष्ट करें ।

2– महालेखाकार मध्यप्रदेश, (लेखा/आडिट) ग्वालियर, भोपाल की ओर 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

3– वित्त विभाग की समस्त बजट शाखाओं/बजट अधिकारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । साथ ही विभिन्न विभागों से प्रतिबंध से छूट संबंधी प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण संबंधित बजट शाखाओं द्वारा प्रकरण के गुण दोषों के आधार पर कर उपयुक्त निर्णय लिया जाय ।

4– गार्ड फाइल

(अदिति कुमार त्रिपाठी)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग